22

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.27/2017/4055

श्री विनोद श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 30-10-2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30/10/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.दि. 9-11-17

श्रीमती सावित्री बाई पुत्री ख्यालीराम गुर्जर , पत्नी श्री लाखाराम गुर्जर निवासी ग्राम बण्डवा तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र.

..........आवेदिका

बनाम

विजय अग्रवाल पुत्र श्री विमल कुमार अग्रवाल , निवासी अरिहंत विहार कालोनी विदिशा जिला विदिशा म.प्र.

...... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अपील/ 2016–17 में पारित आदेश 13.10.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा के समक्ष नामान्तरण कराने हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 109 , 110 , म.प्र. भू राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया कि आराजी क्रमांक 329/ 3 रकवा 2.947 हे. में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2015 के द्वारा उसमें पूर्ण प्रतिफल के बदले क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया गया था और क्रय दिनांक से ही अनावेदक उक्त भूमि पर काबिज होकरफसल लेता चला आ रहा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4055

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय **अधिकारी** के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व **संहिता में** दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब **नवीन** संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा **54(ए)** के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के **विरुद्ध** सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण **सुनवाई** हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में **सुनवाई** हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के **समक्ष** उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	